अमनबीर सिंह बैंस
आई.ए.एस
वि.क.अ-सह.आयुक्त

कार्यालय आयुक्त , कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
पर्यावास भवन, खण्ड-अ, पंचम तल,
भोपाल- 462011
दूरभाष:- कार्या : 2676020
E-mail: cta@mptreasury.gov.in

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,

कोष एवं लेखा।

समस्त कोषालय अधिकारी,

समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला,

मध्यप्रदेश।

विषय :- 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर परिवीक्षा समाप्त करने संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेश जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1/1/0002/2026-GAD-3-01-(GAD) दिनांक 26/05/2026।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि **40** वर्ष की आयु पूर्ण होने पर **CPCT (Computer Proficiency Certification Test)** परीक्षा से छूट का कोई प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक **15/11/1984** एवं दिनांक **16/01/1992** केवल हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा से छूट से संबंधित हैं, जबकि **CPCT** एक पृथक एवं अनिवार्य अर्हता है। हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा तथा **CPCT** दो पृथक-पृथक योग्यताएँ हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी आदेश जिनमें **CPCT** से छूट देकर परिवीक्षा समाप्त कर नियमितीकरण किया गया है, उन्हें निरस्त किया जाए तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाए।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, कोष एवं लेखा के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में जारी ऐसे समस्त आदेशों को, जिनमें पूर्व में किसी कर्मचारी की परिवीक्षा **CPCT** से छूट प्रदान करते हुए समाप्त कर दी गई है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप संबंधित कर्मचारियों को पुनः परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि समाप्ति के कारण दी गई समस्त वेतनवृद्धियों को निरस्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप संबंधित कर्मचारियों का मूल वेतन उनके वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा। (*उदाहरणार्थ, सहायक ग्रेड-**3** के पद पर परिवीक्षाधीन कर्मचारी का मूल वेतन सहायक ग्रेड **3** के पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन अर्थात **19,500/-** निर्धारित किया जाएगा)*/ वसूली की स्थिति निर्मित होने पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F-11/4 /2020 दिनांक 12.06.2026** में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा | साथ ही संबंधित कर्मचारियों को **CPCT** उत्तीर्ण करने हेतु **03** (तीन) माह का समय देते हुए **CPCT** उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकरणों की पूर्ण जानकारी (कर्मचारी का नाम, पदनाम, नियुक्ति तिथि, परिवीक्षा समाप्ति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक, किस अधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई थी तथा वर्तमान स्थिति आदि) तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से एवं तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में किसी भी कर्मचारी की भर्ती, परिवीक्षा समाप्ति अथवा नियमितीकरण के समय **CPCT** सहित सभी अनिवार्य अर्हताओं की पूर्ण पूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों के उल्लंघन, शिथिलता अथवा विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

Digitally signed by
Amanbir Singh Bains
Date: 25-07-2026
17:23:35

वि.क. अ-सह आयुक्त

कोष एवं लेखा

मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक : ..../TCS/स्था./2026 भोपाल, दिनांक : ....

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।

2. समस्त जिला कलेक्टर , मध्यप्रदेश।

उपसंचालक

कोष एवं लेखा